

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-3 /विविध-01-07/2026-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सको के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नही रहे हो:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	2	3
1	डा० अरणव भास्कर, चिकित्सा पदाधिकारी, रक्त केन्द्र, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, मुजफ्फरपुर	02.02.98
2	डा० उत्सव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, समस्तीपुर	16.08.90
3	डा० शिवम सोनाली, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, शेखपुर सराय, शेखपुरा	23.09.90
4	डा० बालेश्वर शर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबनी, प० चम्पारण	12.12.87
5	डा० उत्तम कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, दहिला गायघाट, मुजफ्फरपुर	14.03.93
6	डा० संजय कुमार सुमन, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, बोचाही, जमालपुर, मुंगेर	01.03.78
7	डा० अमरेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, नयागॉव, सोनपुर, सारण	15.01.95
8	डा० प्रभाकर मनोज, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गायघाट, मुजफ्फरपुर	13.08.84
9	डा० नितेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काटी, मुजफ्फरपुर	07.11.90
10	डा० रौनक जमील अंसारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, करजान, अथमलगोला, पटना	26.10.87
11	डा० धर्मवीर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालदा	15.08.91
12	डा० नूर शना हाशमी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, उसासदेवरा, कोंच, गयाजी	20.02.85
13	डा० इन्द्राणी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सरबदहा बाजार, खिजरसराय, गयाजी	06.12.93
14	डा० निकेश कुमार स्नेही, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, तीनटंगा दियारा, रगरा, भागलपुर	20.12.95
15	डा० रश्मि कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, रामपुर, दयाल, बांद्रा, मुजफ्फरपुर	07.12.85
16	डा० मनोज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, फारबिसगंज, अररिया	15.01.83
17	डा० प्रशांत कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सिकरहना, ढाका, पूर्वी चम्पारण	08.07.88
18	डा० अभिषेक गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलवारी शरीफ, पटना	19.04.95
19	डा० अमृता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, कोर्वा, घोषी, जहानाबाद	10.06.89

126(3)
5/2/26

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्रित पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :

126(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक: 5/2/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय पी०एम०यू० लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव